न्यायालय: सत्र न्यायाधीश, एटा

उपस्थितः कमालुद्दीन, एच०जे०एस०

जे०ओ० कोड सं०– यू0 पी0 6538

अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र संख्या– 204/2026

(C.N.R. UPET010004972026)

बनवारी उम्र करीब 60 वर्ष पुत्र श्री सोनपाल निवासी नगला घनश्याम थाना कोतवाली देहात जिला एटा।

–––––आवेदक/अभियुक्त

बनाम

उ०प्र० सरकार –––––विपक्षी

मु0 अ 0 सं0– 212/2016
धारा– 354, 324 भा०दं०सं०
थाना–कोतवाली देहात, जिला एटा।

11–03–2026

आवेदक/अभियुक्त **बनवारी** की ओर से मुकदमा अपराध संख्या– **212/2016** धारा–**354, 324 भा०दं०सं०,** थाना–**कोतवाली देहात**, जिला एटा के मामले में अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया है तथा उल्लिखित किया गया है कि यह उसका प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र है।

संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादिया दिनांक 21/4/2016 को समय करीव 9 बजे अपने घर पर थी, गाँव का बनवारी पुत्र सोनपाल आया एवं उसके पति को आवाज दी, उसने कहा उसके पति एटा मजदूरी करने गये हैं तभी बनवारी घर मे घुस आया एवं उसे पकड कर गिरा लिया। उसके विरोध एव चिल्लाने पर उसकी सास श्रीमती सोनवती आ गई तो बनवारी ने उसकी सास के सिर में दराती मारी, जिससे उनके सिर में खून निकल आया, इस बात की वादिया थाने रिपोर्ट करने गई वहाँ मौजूद मुन्शी ने अस्पताल के लिए डॉक्टरी कराने के लिये उसके साथ एक होमगार्ड को भेजा डॉक्टरी होने के बाद वादिया रिपोर्ट कराने थाने गई।

अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता व अभियोजन की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौ0) के तर्क सुना व उपलब्ध प्रपत्रों का परिशीलन किया।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि आवेदक/अभियुक्त बेगुनाह व निर्दोष है। उसे मुकदमा उपरोक्त में पार्टीबन्दी व रंजिशन के कारण झूठा फसाया गया है। उपरोक्त मामला मृत्यु दण्ड से दण्डित होने वाला नही है और ना ही ऐसी श्रेणी में आता है, जो 438 (6) सीआर०पी०सी० से बाधित हो। उपरोक्त केस की घटना दिनांक 21.04.2016 झूठी घटना को दर्शाते हुए 4 दिन बाद दिनांक 28.04.2016 को आवेदक/अभियुक्त के केस से बचने के लिए पेश बन्दी से क्रोश केस बनाने के उददेश्य से प्रथम सूचना रिपोर्ट झूठी दर्ज कराई गई है। उपरोक्त केस की वादिया का पति सुशील कुमार व अन्य आवेदक/अभियुक्त के केस में अभियुक्त है जो घटना दिनांक 21.04.2016 की है जिसका अपराध सं० 204/2016 है। जिसका आरोप पत्र न्यायालय में अन्तर्गत धारा 354 बी, 324, 323, 452, 504, 506 भा०दं०सं० में दाखिल हो चुका है जिसका केस नं0 574/17 है जिसमें तारीख निहित है।यह कि वादिया द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट में घटना

अपने घर के अन्दर की बताई जाती है जबकि आरोप पत्र में घटना रोड की दशाई गई है। उपरोक्त घटना का कोई निष्पक्ष एवं चक्षुदर्शी साक्षी नही है। केवल वादिया एवं उसकी सासु माँ सोनवती के बयान पर प्रार्थी के विरूद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया है जो निष्पक्ष न्याय एवं विश्वास करने योग्य नहीं है। छेड छाड वाली बात की पुष्टि वादिया गीता देवी की सगी सासु माँ सोनवती ने अपने बयान धारा 161 सीआर०पी०सी० में नही की है। गीता देवी द्वारा लिखाई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट में व गीता देवी के बयान धारा 161 सीआर०पी०सी० में काफी विरोधाभाष है। गीता देवी की सगी सासु माँ सोनवती के बयान धारा 161 सीआर०पी०सी० से धारा 354 की पुष्टि नहीं होती है। आवेदक/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नही है। केवल मेडीकल के आधार पर धारा 324 भा०दं०सं० की पुष्टि होती है जो जमानतीय अपराध है और आवेदक/अभियुक्त अपनी अग्रिम जमानत देने को तैयार है। उक्त आधारों पर अभियुक्त को अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने की याचना की गयी।

अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुये विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) की ओर से तर्क किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा वादिया के घर में घुस कर उसकी स्त्री लज्ञा भंग करने के आशय से उसके साथ छेड़छाड़ की गयी तथा उसके विरोध करने एवं चिल्लाने पर उसकी सास श्रीमती सोनवती आ गई तो आवेदक/अभियुक्त ने उसकी सास के सिर में दराती मारी, जिससे उनके सिर में चोटें आयी। अपराध गम्भीर प्रकृति का है। उक्त आधारों पर अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता व अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता (फौ0) के तर्क सुना व उपलब्ध प्रपत्रों का परिशीलन किया।

धारा–482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 में अग्रिम जमानत का प्रावधान निम्न प्रकार अंकित है–

(1) जब किसी व्यक्ति को यह विश्वास करने का कारण है कि हो सकता है उसको किसी अजमानतीय अपराध के किये जाने के अभियोग में गिरफ्तार किया जा सकता है, तो वह इस धारा के अधीन निदेश के लिए उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय को आवेदन कर सकता है और यदि वह न्यायालय ठीक समझे तो वह निदेश दे सकता है कि ऐसी गिरफ्तारी की स्थिति में उसको जमानत पर छोड़ दिया जाये।

(2) जब उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय उपधारा (1) के अधीन निदेश देता है तब वह उस विशिष्ट के के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए उन निदेशों में ऐसी शर्तें, जो वह ठीक समझे, सम्मिलित कर सकता है, जिनके अन्तर्गत निम्नलिखित भी हैं–

i. यह शर्त कि वह व्यक्ति पुलिस अधिकारी द्वारा पूछे जाने वाले परिप्रश्नों का उत्तर देने के लिए जैसे और जब अपेक्षित हो, उपलब्ध होगा;
ii. यह शर्त कि वह व्यक्ति उस मामले के तथ्यों से अवगत किसी व्यक्ति को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट न करने के लिए मनाने के वास्ते प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः उसे कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देगा;
iii. यह शर्त कि वह व्यक्ति न्यायालय की पूर्व अनुजा के बिना भारत नहीं छोड़ेगा;
iv. ऐसी अन्य शर्तें जो धारा 480 की उपधारा (3) के अधीन ऐसे अधिरोपित की जा सकती हैं मानो उस धारा के अधीन जमानत मंजूर की गई हो।

(3) यदि तत्पश्चात् ऐसे व्यक्ति को ऐसे अभियोग पर पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी द्वारा वारण्ट के बिना गिरफ्तार किया जाता है और वह या तो

गिरफ्तारी के समय या जब वह ऐसे अधिकारी की अभिरक्षा में है तब किसी समय जमानत देने के लिए तैयार है, तो उसे जमानत पर छोड़ दिया जाएगा; तथा यदि ऐसे अपराध का संज्ञान करने वाला मजिस्ट्रेट यह विनिश्चय करता है कि उस व्यक्ति के विरुद्ध प्रथम बार ही वारण्ट जारी किया जाना चाहिए, तो वह उपधारा (1) के अधीन न्यायालय के निदेश के अनुरूप जमानतीय वारण्ट जारी करेगा।

(4) इस धारा की कोई बात भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 65 या धारा 70 की उपधारा (2) के अधीन किसी अपराध को कारित करने के अभियोग पर किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी अंतर्वलित करने वाले किसी मामले को लागू नहीं होगी।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **श्री गुरुबक्स सिंह सिबिया व अन्य बनाम स्टेट आफ पंजाब राज्य (1980)2 सुप्रीम कोर्ट केसेज पेज 565** में यह अभिनिर्धारित किया गया कि न्यायालय को अग्रिम जमानत पर आदेश पारित करते समय यह निर्धारित करना चाहिए कि अपराध की गम्भीरता कितनी है और क्या अभियुक्त की उपस्थिति विचारण के दौरान सुनिश्चित की जा सकेगी अथवा वह मुकदमे के गवाहों को प्रभावित नहीं करेगा। इसके अलावा जनहित व राज्य का हित भी न्यायालय को अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निस्तारित करते समय ध्यान में रखना चाहिए।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **सिद्धाराम सत्यलिंगप्पा महेत्रे बनाम महाराष्ट्र राज्य 2011 (1) सुप्रीम कोर्ट केसेज पेज 694** की विधि व्यवस्था के प्रस्तर संख्या 112 में यह भी निर्धारित किया गया है कि न्यायालय को अग्रिम जमानत निस्तारित करते समय निम्नलिखित माप दण्ड अपनाया जाना चाहिए–

1. अपराध की प्रकृति एवं उसकी गम्भीरता तथा अपराध कारित करने वाले अभियुक्त की भूमिका,
2. अभियुक्त का आपराधिक इतिहास तथा यदि वह किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि में जेल गया हो,
3. अभियुक्त के मुकदमे के विचारण के दौरान अनुपस्थित होने की सम्भावना,
4. अभियुक्त द्वारा पुनः ऐसे ही अपराध की पुनरावृत्ति किये जाने की सम्भावना,
5. अभियुक्त को केवल चोट पहुँचाये जाने अथवा प्रताड़ित किये जाने हेतु गिरफ्तार किया जाना,
6. अभियुक्त को अग्रिम जमानत पर छोड़े जाने से जनता के लोगों में उसका प्रभाव,
7. न्यायालय द्वारा सभी तथ्यों पर अत्यधिक सावधानीपूर्वक विचार किया जाना चाहिए,
8. अग्रिम जमानत आवेदन पत्र का निस्तारण करते समय न्यायालय को दोनो तथ्यों पर विचार करना चाहिए कि विवेचना स्वतंत्र, साफ सुथरी हो और अभियुक्त का भी कोई उत्पीड़न या अपमान करने का आशय नहीं होना चाहिए,
9. अभियुक्त के द्वारा गवाहों को, अथवा वादी को कोई धमकी, उत्प्रेरणा या वचन दिये जाने की सम्भावना का भी ध्यान रखना चाहिए,
10. न्यायालय को अग्रिम जमानत आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय सभी सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखना चाहिए तथा अभियोजन पक्ष के केस में यदि संदेह हो, तब जमानत दिया जाना चाहिए। इसके अलावा सामान्यता अभियुक्त को जमानत दिया जाना चाहिए–

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा ***श्रीमती बच्ची देवी बनाम उ0प्र0 सरकार एवं एक अन्य, 2025 AHC 136034*** में यह अभिनिर्धारित किया गया कि जहाँ आरोप–पत्र अभियुक्त की गिरफ्तारी किये बिना दाखिल किया गया है और अन्वेषण अधिकारी ने सम्पूर्ण जाँच अवधि में अभियुक्त को हिरासत में लेकर पूछताछ की आवश्यकता

अनुभव नहीं की हो अथवा अभियुक्त ने अन्वेषण में पूर्ण सहयोग प्रदान किया हो, ऐसी स्थिति में अभियुक्त को पुनः न्यायिक अभिरक्षा में भेजे जाने का औचित्य नहीं है तथा वह अग्रिम जमानत/संरक्षण आदेश प्राप्त करने अथवा उस पर निरन्तर लाभान्वित होने का अधिकारी होगा।

अभियोजन के अनुसार आवेदक/अभियुक्त पर वादिया की स्त्री लज्जा भंग करने के आशय से उसके साथ छेड़छाड़ करने तथा उसके विरोध करने एवं चिल्लाने पर उसकी सास श्रीमती सोनवती आ गई तो आवेदक/अभियुक्त ने उसकी सास के सिर में दराती मारी, जिससे उनके सिर में चोटें आने का अभियोग है। मामले में आरोप पत्र प्रेषित किया जा चुका है। चिकित्सीय रिपोर्ट के अनुसार चुटैल सोनवती के सामान्य चोटें आना दर्शित है। मामला क्रॉस केस से सम्बन्धित है। अभियोजन द्वारा आवेदक का आपराधिक इतिहास होना नहीं बताया गया है। सभी अपराध मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है, जिसमें सात वर्ष से अधिक सजा का प्रावधान नहीं है। मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को देखते हुए गुण–दोष पर टिप्पणी किये बिना इस स्तर पर आधार जमानत पर्याप्त है, तदनुसार आवेदक/अभियुक्त को अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने का पर्याप्त आधार है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त **बनवारी** की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–**212/2016** धारा–**354, 324 भा०दं०सं०,** थाना–**कोतवाली देहात**, जिला एटा के मामले में प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

आवेदक/अभियुक्त को रूपये पचास हजार का व्यक्तिगत बंधपत्र व समान राशि की दो प्रतिभू सम्बन्धित मजिस्ट्रेट की संतुष्टि के आधार पर दाखिल किये जाने पर जमानत पर रिहा किया जाये।

दिनॉकः 11–03–2026

कृते सत्र न्यायाधीश,
एटा।